

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था-2/ 2017/ 1181

दिनांक : 2/2/17

संशोधित विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित जारी विज्ञापन संख्या-02/ संस्था-2/ 2017 (क्रमांक 117, दिनांक 02-01-2017) द्वारा निम्नानुसार पद विज्ञापित कर अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान किया गया था:-

S.No.	Post	Age limit as per Advertisement No. 02
i)	Additional Registrar	No upper age limit.
ii)	Controller of Examinations	No upper age limit.
iii)	Dy. Registrar	No upper age limit.
iv)	Assistant Registrar	Not exceeding 40 Yrs. (45 years in case of SC/ST/ Differently-abled category/ women candidates). Age will be calculated as on 1st July of year of advertisement. No age limit for the regular employees of the University of Rajasthan.
v)	Legal Assistant	Not exceeding 35 Yrs. (40 years in case of SC/ ST/ differently-abled category/ women candidates). Age will be calculated as on 1st July of the year of advertisement. No age limit for the regular employees of the University of Rajasthan.
vi)	Cartographer	Not exceeding 35 Yrs. (40 years in case of SC/ ST/ differently-abled category/ women candidates). Age will be calculated as on 1st July of the year of advertisement. No age limit for the regular employees of the University of Rajasthan.
vii)	Manager Guest House	Not exceeding 35 Yrs. (40 years in case of SC/ ST/ Differently-abled category/ women candidates). Age will be calculated as on 1st July of year of advertisement. No age limit for the regular employees of the University of Rajasthan.


2

अतः रा.वि.वि. सिण्डीकेट के निश्चय संख्या-02, दिनांक 30-01-2017 के परिप्रेक्ष्य में, ऊपरवर्णित क्रम संख्या-iv) से vii) तक (सहायक कुलसचिव, विधि सहायक, कार्टोग्राफर तथा प्रबन्धक अतिथि गृह) के पदों हेतु पूर्वानुसार अधिकतम आयु निर्धारित करते हुए उपरोक्त छूट की जगह निम्न वर्णित तालिकानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है एवं विज्ञापन के तहत आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 03-02-2017 से 15 दिवस (अर्थात् 18-02-2017 तक) बढ़ाई जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	ऊपरी आयु सीमा में देय छूट	
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी पुरुष अभ्यर्थी	05 वर्ष	
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष	
3.	सामान्य वर्ग की महिला आवेदक	05 वर्ष	
4.	निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थी	सामान्य	10 वर्ष
		पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15 वर्ष
5.	विधवा एवं परित्यक्तता महिला अभ्यर्थी एवं विश्वविद्यालय के नियमित कार्मिक हेतु	कोई सीमा नहीं	

नोट :- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) उक्त प्रावधान में दिये गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हों तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।



 (देवेन्द्र कुमार शर्मा)
 कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.-2/ 2017/ 1182-86

दिनांक : 2/2/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधित सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए विज्ञापन संख्या-02 से सम्बन्धित ऑनलाइन आवेदन में तदनुरूप संशोधन कराने का श्रम करें।
- (2) वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (3) उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (4) निजी सचिव-कुलपति/ कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।



(पी. कुमावत)

उप कुलसचिव (संस्था.-2)